प्रकाशनार्थ आलेख

भूमि–अधिग्रहण की खिलाफत जरूरी है

✦ प्रशांत भूषण

पिछले कुछ सालों से लगातार बड़ी मात्रा में जमीनों का अधिग्रहण विभिन्न तरह की योजनाओं जैसे सेज (स्पेशल इकॉनामिक जोन), बांध, खनन आदि के लिए जबरदस्ती किया जा रहा है। यह सब बड़ी निजी कंपनियों के लिए हो रहा है। इससे एक ओर गरीब, छोटे किसान और आदिवासी बड़ी मात्रा में बेघर हो रहे हैं, तो दूसरी ओर निजी कंपनियां विकास और जमीनों की खरीद–फरोख्त से अरबों रुपये का मुनाफा कमा रही हैं। दुखद तो यह है कि सरकारें कौड़ी के दाम किसानों से जमीनें लेकर निजी कंपनियों को दे रही हैं।

इस समय प्रमुख रूप से देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकॉनामिक जोन–सेज) के नाम पर भूमि–अधिग्रहण बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। पिछले एक साल से जबसे सेज अधिनियम बना है, अब तक देश में 300 सेज स्वीकार किए जा चुके हैं जिससे निजी कंपनियों को 140,000 हेक्टेयर जमीन मिलनी है। इनमें से कुछ सेज तो 10,000 हेक्टेयर से भी बड़े हैं। अकेले रिलायंस ने ही सेज के लिए 60,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन प्राप्त कर ली है। भूमि सुधार और सीलिंग आदि कार्य, सब सेज योजना के हिस्से हैं। आजादी के बाद बड़े पैमाने पर भूमि सुधार के कार्यक्रम चलाए गये थे उसमें बड़े जमीदारों से जमीन लेकर छोटे किसानों को दी गयी थी जबकि आज छोटे किसानों से जमीन लेकर बड़ी तानाशाह कंपनियों को दी जा रही है जो देश के नये जमींदार बन रहे हैं।

आर्थिक वृद्धि दर और औद्योगीकरण बढ़ाने के नाम पर यह सब कुछ हो रहा है ऐसा दावा किया जा रहा है कि सेज में रोजगार के अवसर बढ़ने से गरीबों की दशा में सुधार होगा और खेती में आर्थिक वृद्धि दर कम होने के कारण जमीन व पानी आदि संसाधन तीव्र आर्थिक विकास वाले उद्योगों जैसे सूचना उद्योग, वित्तिय सेवाओं, निर्माण उद्योग आदि को सौंप दी जानी चाहिए। निजी कंपनियों की लूटने वाली नीतियों के खातिर ऐसे–ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं। पर सच्चाई काफी भिन्न है आई टी पार्कों, खानों और अन्य उद्योगों, जिनके लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही है; ने कुछ रोजगार के अवसर तो दिए हैं लेकिन यह संख्या बेघर हुए लोगों की संख्या से बहुत कम है। इसके अलावा ये नौकरियां समाज के सम्पन्न और शिक्षित वर्गों को मिली हैं। सेज से बेघर हुए लोगों के बच्चो को नौकरियां बिल्कुल ही नहीं मिली हैं। क्या फायदा ऐसी नीतियों का जो गरीबों के हाथ से जमीन, जंगल और पानी के थोड़े से साधनों को भी छीनकर बड़े–बड़ें उद्योगों और समाज के अमीर तबके को दे दे। आर्थिक वृद्धि और विकास के नाम पर सम्पदा का वितरण विपरीत दिशा में हो रहा है। एक ओर करोड़पतियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है तो दूसरी ओर गरीब किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं।

पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान नहीं किया जा रहा है। अंधाधुंध खनन और औद्योगीकरण के तथाकथित विकास के आदर्श को बढ़ावा देकर पर्यावरण का नाश किया जा रहा है। खनन और उद्योगों से प्राप्त आय से सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी होती है। लेकिन वनों के कटाव, पानी और हवा के प्रदूषण के परिणामस्वरूप मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों को सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक वृद्धि दर में से घटाया नहीं जाता। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की बढ़ाने की होड़ में हमारी सरकार न केवल पर्यावरण काननों में छूट दे रही है बल्कि पर्यावरण मंत्रालय की भी परवाह न करते हुए जंगलों में अंधाधुंध खनन को बढ़ावा दे रही है, जिससे– उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि में खनिज संसाधन तेजी से घट रहे हैं। साथ ही इनसे प्राप्त होने वाली आय से भी विदेशी कंपनियों की जेबें ही गर्म हो रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को खनन आय से कोई लाभ तो नहीं ही मिल रहा है, बल्कि बेघर लोगों को वनों के कटाव, हवा, पानी के प्रदूषण से प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता भी घट रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार फिर से इस देश को लूटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला रही है।

इससे सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। इस तथाकथित विकास के दौड़ में जो लोग बेघर होकर उजड़ जाएंगे आखिर में वे भी इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी भी प्रजातांत्रिक और अहिंसक साधन से वे अपनी जमीनों और संसाधनों की लूट को रोक नहीं सकते। यह एक खतरनाक स्थिति हो रही है। 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' जैसी जुझारू संगठन भी, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षित लोग शामिल हैं, इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर चुके हैं कि संसाधनों की लूट को रोकने का प्रशासनिक या कानूनी तरीका नहीं है। अब केवल एकजुट होकर बलपूर्वक ही लुटेरों को रोका जा सकता है। यही वजह है कि आज कलिंगनगर, नंदीग्राम आदि में करो या मरो की स्थिति है। यह सब लड़ाइयां लूट को रोकने में मील का पत्थर साबित हुई हैं। इन जगहों के लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो वे किसी भी सरकारी अफसर को अपनी जमीन पर पैर नहीं रखने देंगे। ऐसे में सरकार ने अगर जबरदस्ती की तो उग्र हिंसा की आग भड़क उठेगी।

भूमि सुधार अधिनियम में बहुत से परिवर्तन तुरंत किए जाने जरूरी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि क्या भूमि अधिग्रहण निजी कंपनियों के लिए किया जाना चाहिए? यह भी स्पष्ट करना है कि जिस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित की गयी है, वह योजना सार्वजनिक हित में है या नहीं। सिर्फ सार्वजनिक हित का उद्देश्य में बताया जाना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हर बांध को सार्वजनिक हित में बताया जाता है लेकिन सार्वजनिक हित में तब माना जाना चाहिए जब जनता को होने वाले लाभ, इसके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लागत से ज्यादा हो। इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के बदले में किसान को जमीन के बदले में जमीन दी जानी चाहिए, उनको तो जरूर ही जिनकी जीविका का एकमात्र साधन ही खेती है। किसान बेघर होकर अपने समुदाय, जंगल, पानी, मछलियां और अन्य बहुत सी चीजों से जुदा हो जाता है तो, ऐसी स्थिति में हरेक छीनी गयी चीज के बदले में मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज निहायत जरूरी हो गया है कि गरीबों की भावनाओं को समझने और महसूस करने वाला संवेदनशील एक नया तंत्र बनाया जाए क्योंकि वर्तमान प्रशासनिक और कानूनी तंत्र मृतप्राय हो चुका है, वह उजड़े–बेघर लोगों के दर्द और तकलीफ को नहीं समझ पा रहा है। देश के भविष्य को लेकर चिंतित बुद्धिजीवियों और संस्थाओं के लिए अब वक्त आ गया है कि वे एकजुट होकर एक राष्ट्रीय आन्दोलन की आवाज को बुलंद करें। हमें एक साथ भूमि–अधिग्रहण की पूरी अमानवीय व्यवस्था को बदलकर एक न्यायपूर्ण मानवीय व्यवस्था की रचना करनी है ताकि गरीबों के संसाधनों की लूट रोकी जा सके। आज देश की सरकारों को पूरे जोर से कहने की जरूरत है कि जमीन अधिग्रहण तुरन्त बंद कर दें।(पीएनएन)

शब्द संख्या– 1100। ***लेखक उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।***

आलेख प्रकाशित होने की स्थिति में अखबार की कतरन और पारिश्रमिक राशि 'पीपुल्स न्यूज नेटवर्क' दिल्ली के पते पर भेजें।
पीपुल्स न्यूज नेटवर्क संपादक मंडल– अमित सेन गुप्ता, अरुण अग्रवाल, भारत डोगरा, ई पी मेनन, हर्ष डोभाल, जावेद नकवी, प्रशांत भूषण, संजय काक
(समाचार–विचार सर्विस) कार्यकारी सम्पादक –शिराज केसर, पीएनएन, 14 सुप्रीम एन्क्लेव, मयूर विहार फेज 1, दिल्ली–91, फोन–011,22756796 ईमेल–peoplesnewsnetwork@gmail.com